

By Speed Post

A-12018/07/2014-NTH.
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs

Gallery No.12/2, Jamnagar House
Shahjahan Road, New Delhi – 110 011
Dated, the 11th January, 2017

To


The Director General
National Test House,
Sector-V, C.P. Block,
Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales –
Amendment of Recruitment Rules for the post of Scientific Officers in National Test
House.

Sir,

I am directed to enclose copy of Recruitment Rules for the post of Scientific Officers of various disciplines in National Test House duly notified in the in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) vide GSR No.238 dated 10.12.2016 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website of egazette.nic.in in the name of this Ministry.

Yours faithfully,



(D.K. Sonker)

Deputy Director (NTH)

Tel No.23073612

E-mail: d.sonker@nic.in

Copy to:

1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S.Heet, Under Secretary(RR).]
4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
6. Guard files.

S/c



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938

No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा योग्यता आदि.**— इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**— कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

11	12	13
<p>(a) Promotion Private Secretary and Project Personal Secretary in Level-8 and/or in Level 9 in the Pay Matrix in the Department of Space with a minimum of 6 years service in the levels rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>(b) Deputation Suitable officers holding analogous posts or in Level-10 in the Pay Matrix with 8 years regular service in Central Government. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <p>1. Additional Secretary, Department of Space : Chairman</p> <p>2. Joint Secretary (Personnel) Department of Space : Member</p> <p>3. Joint Secretary (Finance) Department of Space : Member</p> <p>4. Scientific Secretary, ISRO : Member</p>	<p>Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission</p>

[No. 2/9/1/2004-I]

K.V. LAKSHMANA KUMAR, Dy. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और बम्बई, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 1975 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत)	18* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री; और	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

<p>(ii) किसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मापन का एक वर्ष का अनुभव अथवा मोटर्स या स्विचगियर्स या प्रकाश और प्रकाशमापन या बैटरीज़ या केबल या इलेक्ट्रिकल उपस्कर इत्यादि जैसे इलेक्ट्रिकल स्टोर्स के परीक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव, भारतीय मानक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोतकनीकी आयोग के मानदंडों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मापन यंत्र एवं उपकरण के मापांकन का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे वैज्ञानिक सहायक (विद्युत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर</p>	<p>3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	
---	---	--

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी (कैमिकल)	40* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन अथवा माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल टेक्नॉलॉजी या कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा अनुसंधान एवं विकास कार्य अथवा अयस्क, खनिज, धातु अथवा तेल एवं ईंधन तथा विभिन्न जैविक एवं अजैविक उत्पाद अथवा पेंट एवं पॉलीमर सामग्री के विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के</p>	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे वैज्ञानिक सहायक (कैमिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा कि है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-विध्वंसक)	08* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा एक्स-रे विवर्तन या विफल इंजीनियरिंग सामग्री पर गैर-विध्वंसक तथा मेटलोग्राफी परीक्षण विधि द्वारा निरीक्षण कार्य में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

<p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण-1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल)	12* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600- 151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री; और</p> <p>(ii) मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी सिविल)	08*(2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रबड़ प्लास्टिक कपड़ा)	07* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रुपये 47600-151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल इंजीनियरिंग अथवा कपड़ा तकनीकी अथवा रबड़ तकनीकी अथवा प्लास्टिक तकनीकी अथवा पॉलीमर एवं रबड़ तकनीकी अथवा कैमिकल तकनीकी में डिग्री; और</p> <p>(ii) कपड़ा अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा पेपर अथवा चमड़ा और उनके उत्पाद के परीक्षण में कार्यरत प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।</p>	<p>70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/07/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938
No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा योग्यता आदि.— इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 7th December, 2016

G.S.R. 238.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta and Bombay, Scientific Officers Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Officers in the National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix .-The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. - The method of recruitment to the posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualifications.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE


Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific Officer (Electrical).	18* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

[Signature]

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Electrical and Electronic Engineering or Degree in Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) One year's experience of advanced electrical or electronics measurements in a Laboratory or one year's experience in the field of testing and development of Electrical Stores like Motors or Switchgears or Lamp and Photometry or Batteries or Cables or Electrical Accessories etc. experience Calibration of Electrical measuring instruments and equipments as per Indian Standard or International Standardisation Organisation or International Electrotechnical Commission Norms.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>50% by promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by direct recruitment.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Scientific Assistant (Electrical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>



<p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation(including short term contract)</p> <p>Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in</p>	<p>2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member</p> <p>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</p> <p>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :</p> <p>1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman</p> <p>2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member</p> <p>3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member</p> <p>4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member</p>	
--	--	---

the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Officer (Chemical).	40* (2016) (* Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Chemistry or Master's Degree in Microbiology or Degree in Chemical Technology or degree in Chemical Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) One year's experience in an	Age : No Educational Qualification : No	Two years for direct recruits. Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	50% by promotion failing which by Deputation including short term contract., 50% by direct recruitment.

<p>analytical or Chemical Testing Laboratory or one year's Experience of Research & Development work or analysis of ores, Minerals, metals or Oil & Fuel and various Organic and Inorganic products or paint or polymer materials.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Scientific Assistant (Chemical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommen-

<p>dations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Officer (Non – Destructive)	08* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in Non-destructive testing Laboratory or one year's experience in X-Ray Diffraction or investigation work on failure Engineering Material by Non-destructive and metallographic methods of testing.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are</p>	<p>Age : No Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>33% by promotion failing which by deputation (including short term contract), 67% by direct recruitment.</p>

<p>relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Scientific Assistant (Non-Destructive) with two years regular service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations - (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee : 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

<p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific Officer (Mechanical).	12* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Degree in Mechanical Engineering or Degree in Metallurgy from a recognised University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in Mechanical testing Laboratory or one year's experience in Research and Development in allied field.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>50 % by promotion failing which by deputation including short term contract., 50% by direct recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Scientific Assistant (Mechanical) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientific Officer (Physical Civil).	08* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Scientific Assistant (Physical - Civil) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Officer (Physical Rubber Plastic Textile)	07* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/-.	Selection.	<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry or Degree in Chemical Engineering or Degree in Textile Technology or Degree in Rubber Technology or Degree in Plastic Technology or Degree in Polymer & Rubber Technology or Degree in Chemical Technology from a recognized University or Institute ; and</p> <p>(ii) One year's experience in a Laboratory engaged in the testing of Textile or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products or one year's experience in Research and Development in the allied fields.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	<p>Age : No Educational Qualification : No</p>	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.</p>	<p>70% by promotion failing which by deputation including short term contract., 30% by direct recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Scientific Assistant (Physical Rubber Plastic Textile) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p>

<p>Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/07/2014- NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)